इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15404-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १० सन् १९७९) की धारा २ में, स्पष्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (तीन) में, शब्द ''और'' का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् शब्द "और" अन्त:स्थापित किया जाए;

(तीन) खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) वे व्यक्ति जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेन्सी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हों और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक १ सन् २०१३), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त आध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जनहित में यह समीचीन है कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १० सन् १९७९) की धारा २ को संशोधित किया जाए ताकि उन व्यक्तियों को, जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेन्सी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हों और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, अत्यावश्यक सेवा की परिधि में लाया जा सके.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक १ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २८ जून, २०१३

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

जूनियर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने पर हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के विरुद्ध मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर की गई थी. इस कार्यवाही के विरुद्ध जूनियर डॉक्टरों द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में रिट पिटिशन क्रमांक ९०६३/२०११ दायर कर यह पक्ष रखा गया था कि जूनियर डॉक्टर राज्य शासन के कर्मचारी नहीं हैं, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाये गये रेग्यूलेशन के अन्तर्गत स्टायपेंड प्राप्त करते हैं, इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते.

अत: जूनियर डॉक्टर्स की सेवाओं को उक्त अधिनियम की परिधि में लाये जाने के लिये अधिनियम की धारा २ के मद (चार) के आगे मद (पांच) जोड़ा जाना आवश्यक हो गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था एवं विधान सभा सत्र चालू नहीं था इसलिए मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ में संशोधन करने हेतु "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३" महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक १८-४-२०१३ को प्रख्यापित किया गया.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.